प्रेस नोट संख्या-19

दिनांक- 09.07.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "operation conviction" अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 22,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय रायबरेली में मु0अ0सं0 412/2019 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मोहनगंज के अभियुक्त रिंकू पुत्र रामबरन नि0 पूरे जोरावरपुर मजरे भागीरथपुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय स्पे0जज पाक्सो- प्रथम रायबरेली द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 09.07.2024 को धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000 रु0 अर्थदण्ड एवं धारा-506 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास व 2,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादिनी मुकदमा दिनांक-03.12.2019 समय 12:15 बजे तहरीरी सूचना के आधार पर वादिनी की नाबालिक पुत्री के साथ अभियुक्त रिंकू पुत्र रामबरन नि0 पूरे जोरावरपुर मजरे भागीरथपुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी द्वारा दुष्कर्म करना व जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर मु0अ0सं0 412/2019 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मोहनगंज पर पंजीकृत होकर विवेचक निरी0 श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 03.01.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।